

फार्म
अचल संपत्ति विवरणका वर्ष -

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष - 2015-2016

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम - अशोक कुमार शर्मा 2. वर्तमान धारित पद - निर्देशक
3. कार्यालय का नाम-अति उच्च दाब-निर्माण संभाग-एक
4. वर्तमान वेतन - 23320+2900 5. भविष्य निधि कर्मांक - 1400 2109 6. कर्मचारी संख्या - 5649/1530
मण्डल कार्यालय, जबलपुर

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/ कर्मचारी से क्या संबंध है।	उस किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जबलपुर (रड)	आवसीय भवन	नही	4.00 000 धन्युमानित	स्वयं के नाम पर	स्वयं के नाम पर पट्टे पर प्राप्त	नही	नही

दिनांक 14/10/16
स्थान - जबलपुर

हस्ताक्षर [Signature]
नाम - अशोक कुमार शर्मा
पद - निर्देशक

जहां लागू न हो काट दीजिए
ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।
टिप्पणी:- मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवें।